



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, के अधीन एक स्वयत्त संगठन)

शिक्षा सदन, 17 इन्सटिट्यूशनल क्षेत्र, राउज एवेन्यु, नई दिल्ली - 110002

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An autonomous Organization Under the Union Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)

"Shiksha Sadan", 17 Institutional Area, Rouse Avenue, New Delhi-110002

के.मा.शि.बो./शै./सं.नि.(अ.हि.अ)/2015

दिनांक: 24 नवंबर, 2015

परिपत्र संख्या शैक्षणिक: 79/2015

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध
सभी विद्यालय प्रमुखों के लिए

विषय: विद्यालयों में प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अपने से संबद्ध सभी विद्यालयों को उनके कर्मचारियों और विद्यार्थियों को प्राथमिक उपचार के प्रशिक्षण देने की आवश्यकता के लिए लगातार संवेदनशील बनाता रहा है। के.मा.शि.बो. के प्रयास विशिष्टतः 'प्राथमिक उपचार और प्राथमिक आपातकालीन देखभाल' को के.मा.शि.बो. द्वारा जारी स्वास्थ्य और स्वस्थता नियम पुस्तिका में विस्तृत रूप से सम्मिलित करना है और आपदा प्रबन्धन के विषय में प्राथमिक उपचार के विषय को सम्मिलित करते हुए परीक्षा की योजना में प्राथमिक उपचार को आठ सह-पाठयक्रमी कार्यकलापों से जोड़ना है। बोर्ड के संबद्धता नियमों के अनुसार, विद्यालयों को स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा के शिक्षक को नियुक्त करना है, जो साथ ही विद्यालय में प्राथमिक उपचार की व्यवस्था की देखभाल कर सके।

इस दिशा में अग्रिम प्रयासों और इस तथ्य के विचारों से कि प्राथमिक उपचार एक छोटी सी चोट को बढ़ने से रोक सकती है और बहुमूल्य जीवन की रक्षा करती है, सभी विद्यालयों को पुनः सलाह दी जाती है कि:

- विद्यार्थियों को तार्किक रूप से संभाव्य सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक संभव प्रयास को करें। उन्हें शारीरिक और भावात्मक रूप से सुरक्षित महसूस करना चाहिए।
- सुनिश्चित करें स्वास्थ्य और उपयुक्तता नियम पुस्तिका में प्राथमिक उपचार के बारे में दी गई जानकारी को सह-शैक्षिक और आपदा प्रबन्धन के कार्यकलापों के दौरान आवश्यक रूप से पूर्ण किया जाता है। कक्षा VI-X के विद्यार्थियों को क्रमिक व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा सकता है।
- विविध कार्यकलापों से जोखिम के आकलन का प्रयास करें और उन परिस्थितियों से बचें जिनमें प्राथमिक उपचार की आवश्यकता हो।
- यह निश्चित करें कि प्राथमिक उपचार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और यथोचित उपकरण विद्यालय परिसर में और दौरे के समय परिसर के बाहर भी उपलब्ध हों।

- अपने स्टाफ के सदस्यों को प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण लेने के लिए और घायल तथा बीमार का अपने ज्ञान, विशेषज्ञता और प्रशिक्षण की सीमाओं के अन्दर सहायता करने के लिए तैयार रहने हेतु उत्साहित करें।
- विद्यालय की प्राथमिक उपचार की आवश्यकताओं की उपलब्ध सामग्री पर्याप्त है, यह सुनिश्चित करने के लिए वार्षिक समीक्षा करें। पूर्ण सामग्री सहित प्राथमिक उपचार का न्यूनतम एक बाक्स विद्यालय के प्रत्येक संभाव्य स्थल पर उपलब्ध होना चाहिए। अतिरिक्त प्राथमिक उपचार बाक्स, दूरस्थ क्रीड़ा मैदान और विद्यालय से बाहर किसी अन्य कार्यकलाप के लिए रखा जाना चाहिए।
- भोजनावकाश और विश्राम अवधि के लिए विशेष प्रावधान रखें और यदि शारीरिक शिक्षा का शिक्षक अवकाश पर हो तो उसकी अनुपस्थिति में संबंधित कार्य के लिए उचित शिक्षक की पहचान की जानी चाहिए।
- प्राथमिक उपचार के बाक्स की सामग्री की जांच के लिए एक शिक्षक को जिम्मेदारी सौंपें। इसकी अक्सर जांच की जानी चाहिए और प्रयोग के बाद उस सामग्री की यथा संभव रूप से पुनः पूर्ति की जानी चाहिए। विद्यालय में अतिरिक्त सामग्री होनी चाहिए और मियाद खत्म हुई सामग्री को तिथि के बाद हटा दिया जाना चाहिए।
- विद्यालय में स्वस्थता की विशेष आवश्यकताओं वाले या विकलांग विद्यार्थियों का उचित रिकार्ड रखा जाना चाहिए। जैसे कि बाल रोग से संबंधित प्राथमिक उपचार के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, अतः इस संबंध में विस्तृत सलाह के लिए प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण एजेन्सी से सम्पर्क किया जाना चाहिए।
- सुनिश्चित करें कि विद्यार्थियों को रसायन/जीव विज्ञान/ भौतिक प्रयोगशाला की आवश्यकता की एक समय की पूर्ति के लिए क्षयकारी रसायन सीमित मात्रा में उपलब्ध कराए जाएं। रसायनों के प्रबन्धकर्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विद्यार्थियों को कोई ताजी सामग्री की आपूर्ति किए जाने से पहले, पूर्व में जारी की गई सामग्री का विभिन्न प्रक्रियाओं में उपयोग किया जा चुका है।

यह आशा की है कि के.मा.शि.बो. से संबद्ध विद्यालय उपरोक्त निर्देशों पर ध्यान देंगे और विद्यार्थियों को प्राथमिक उपचार के कार्यकलापों के प्रति संवेदनशील और उनमुखीकरण के लिए, यदि पूर्व में व्यवस्था नहीं की गई हो तो आवश्यक व्यवस्था करेंगे।

सादर,



डी.टी. सुदर्शन राव

संयुक्त सचिव और प्रभारी (शैक्षणिक और प्रशिक्षण)

इस निवेदन के साथ कि सभी निदेशालयों, संगठनों और संस्थानों के प्रमुखों को जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी विद्यालयों को सूचना देने के लिए प्रतिलिपि प्रेषित करने का कष्ट करें:

- 2 आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, बी -15, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा 201307
- 3 शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, नई दिल्ली-110054
- 4 निदेशक, सार्वजनिक निर्देश (विद्यालय), केन्द्र शासित प्रदेश सचिवालय, सेक्टर-9 चंडीगढ़-160017
- 5 शिक्षा निदेशक, सिक्किम सरकार, गंगटोक, सिक्किम-737101
- 6 निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, अरुणाचल प्रदेश सरकार, ईटानगर-791111
- 7 शिक्षा निदेशक, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सरकार, पोर्ट ब्लेयर-744101
- 8 राज्य शिक्षा संस्थान, के.मा.शि.बो. कक्ष वी.आई.पी. मार्ग जंगली घाट. पी.ओ.-744103 अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
- 9 केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, एस.एस. प्लाजा, सामुदायिक केन्द्र, सेक्टर-3, रोहिणी, दिल्ली-110085
- 10 सेना शिक्षा के अपर निदेशक जनरल, ए-विंग, सेना भवन, डीएचक्यू, पीओ, नई दिल्ली-110001
- 11 निदेशक, एडब्ल्यूईएस, रक्षा मंत्रालय (सेना) के एकीकृत मुख्यालय, FDRC बिल्डिंग नं 202, शंकर विहार (नियर ए पी एस), दिल्ली कैंट-110,010
- 12 सभी क्षेत्रीय निदेशक/क्षेत्रीय अधिकारी के.मा.शि.बो. के सभी को अपने संबंधित क्षेत्रों में बोर्ड से संबद्धता प्राप्त विद्यालयों के प्रमुखों को परिपत्र की प्रति प्रेषित करने हेतु
- 13 एसोसिएट प्रोफेसर/अपर निदेशक/प्रभारी/अनुसंधान एवं नवाचार, शैक्षणिक, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं नवाचार स्कंध के.मा.शि.बो.
- 14 संयुक्त सचिव/प्रभारी/शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण (शैक्षणिक, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं नवाचार स्कंध के.मा.शि.बो.)
- 15 सभी सहयोगी प्रोफेसर और संयुक्त निदेशक/सलाहकार/परामर्शदाता
- 16 सभी अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सह-निदेशक, वोकेशनल सेल, के.मा.शि.बो.
- 17 सभी सहायक प्रोफेसर एवं संयुक्त निदेशक, के.मा.शि.बो.
- 18 सभी सहायक प्रोफेसर एवं उप निदेशक, के.मा.शि.बो.
- 19 उप निदेशक (परीक्षा एवं सुधार), के.मा.शि.बो.
- 20 सहायक पुस्तकाध्यक्ष, के.मा.शि.बो.
- 21 जन संपर्क अधिकारी, के.मा.शि.बो.
- 22 हिंदी अधिकारी, के.मा.शि.बो.
- 23 अध्यक्ष, के.मा.शि.बो., के निजी सचिव
- 24 सचिव, के.मा.शि.बो. के निजी सचिव
- 25 परीक्षा नियंत्रक, के.मा.शि.बो. के निजी सचिव
- 26 निदेशक (विशेष परीक्षा तथा सी.टी.ई.टी.), के.मा.शि.बो., के निजी सचिव
- 27 निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) के निजी सहायक